

प्रेषक,

जे० एन० चैम्बर
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, जालौन, मिर्जापुर
सोनभद्र, इलाहाबाद, चन्दौली, औरैया।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 05 मई, 2008

विषय:- बुन्देलखंड व विन्ध्योचल मण्डल एवं अन्य ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत "खेत का पानी खेत में" योजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

प्रदेश के जनपद बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, जालौन, मिर्जापुर, सोनभद्र, चन्दौली, औरैया एवं इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वर्षा जल का संचयन बहुत कम मात्रा में हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से सामान्य से काफी कम वर्षा होने के कारण सूखे की स्थिति विद्यमान है। बुन्देलखंड में पारम्परिक रूप से प्रत्येक गाँव में तालाब एवं कुँए निर्मित हैं जिनका कालान्तर में पूर्ण रूपेण एवं सम्यक रख रखाव न होने के कारण जल की उपलब्धता में कमी आयी है। पूर्व के निर्मित तालाब, झील एवं कुँए की मरम्मत के साथ-साथ नये बंधियों, चेकडैम व तालाबों के निर्माण की आवश्यकता है। बुन्देलखंड एवं विन्ध्योचल के उक्त क्षेत्रों में आर्थिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से सरटीनेविल विकास हेतु कार्य करने की आवश्यकता है जिसमें जल भण्डारण एवं भूगर्भ जल का रिचार्ज भूगर्भ जल के दोहन से प्रत्येक दशा में अधिक होना चाहिये।

2- योजना का उद्देश्य-

योजना का उद्देश्य मानसून के दौरान होने वाली वर्षा एवं रनऑफ को रोक कर जल संचित करना है। यह कृषि के लिए (कम वर्षा वाले क्षेत्रों में) वरदान साबित हो सकता है। किसानों को सिंचाई की सुविधाएं उनके खेतों में उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है। गरीबी उन्मूलन के लिए छोटे एवं गरीब किसानों विशेष कर अनुसूचित जाति/जनजाति, कृषि पट्टेदार, इन्दिरा आवास के लाभार्थी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पाँच एकड़ तक के खेतों पर अधिक से अधिक फसल पैदा करना व उद्यान को बढ़ावा देना है। अतः कम से कम 50 प्रतिशत योजना का लाभ अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थी को तथा शेष अन्य बी०पी०एल० परिवारों को लाभ पहुँचाना आवश्यक है।

3- निधियों की व्यवस्था-

यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत उपलब्ध धनराशि से संचालित की जायेगी। पारम्परिक बन्धी, ताल, झील, कुँओं का पुनरोद्धार एवं जल वर्षा संचयन के लिये नये झील, तालाब, बंधियों के निर्माण तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, कृषि पट्टेदार, इन्दिरा आवास के लाभार्थी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उक्त योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों हेतु कार्यों के लिये धनराशि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जा रही धनराशि से की जायेगी। तालाब के लाईनिंग के लिए एच0डी0पी0ई0 की व्यवस्था जिलाधिकारी के स्तर से करायी जायेगी। इस कार्य के लिए जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई एवं यू0पी0एग्री के एक प्रतिनिधि की समिति गठित की जायेगी।

4. कार्य स्थल का आकार :-

कृषकों की निजी भूमि पर निर्माण किये जाने वाले खेत, तालाब को एक एकड़ का मानक रख कर बनाया गया है। भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार निर्मित किये जाने वाले जल संचयन स्ट्रक्चर का क्षेत्रफल व लागत परिवर्तित होगा। उपलब्ध भूमि के 1/10 हिस्से पर इस जल संरक्षण स्ट्रक्चर का निर्माण किया जायेगा। निर्माण हेतु तकनीकी विशिष्टियाँ परिशिष्ट-1 पर दी गयी है।

5. योजना लागत :-

एक एकड़ भूमि पर निर्मित किये जाने वाले "खेत तालाब" की लागत साधारण मिट्टी में रू0 53500 तथा सख्त मिट्टी में रू0 65,500.00 तक आयेगी। "खेत तालाब" में वर्षा के पानी को चारो तरफ से आने की व्यवस्था करने में इनलेट पाइप एवं तालाब के चारो तरफ कच्ची नाली निर्माण पर रू0 10000.00 तक का अतिरिक्त व्यय आयेगा।

6. योजना का क्रियान्वयन :-

योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के प्राविधान तथा समय समय पर निर्गत निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा। कार्य स्थल को जिले की कार्ययोजना में सम्मिलित कर लिया जायेगा। यदि कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है तो उन कार्यों हेतु अतिरिक्त कार्ययोजना तैयार कर सम्मिलित कर लिया जायेगा।

7. योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया :-


इस परियोजना को क्रियान्वित कराये जाने के इच्छुक परिवार/व्यक्ति द्वारा इस सम्बन्ध में एक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक को दिया जायेगा। ग्राम पंचायत द्वारा इस परियोजना का प्राक्कलन बनवाना तथा उसे क्रियान्वित करने की कार्यवाही की जायेगी। चूंकि यह परियोजना रू0 2 लाख से कम धनराशि की है इस कारण कार्ययोजना की स्वीकृति एवं कार्यदाई संस्था दोनो ही कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही किये जायेंगे। इस परियोजना में भू-स्वामी एवं अन्य परिवारी जन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मजदूरी का कार्य किया जायेगा। जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में अनुमन्त्र मजदूरी का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा। आवश्यकता होने पर पड़ोसी किसान/श्रमिक द्वारा भी कार्य किया जा सकता है।

8. योजना का अनुश्रवण :-

उपरोक्त कार्य को करने में लघु सिंचाई विभाग और सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता का समुचित पर्यवेक्षण व सहयोग जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। योजना का सतत अनुश्रवण जनपदीय अधिकारियों तथा क्षेत्र पंचायत में तैनात अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त जनपदों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत अब जो भी धनराशि उपलब्ध है एवं भविष्य में प्राप्त होती है उससे पारम्परिक व पुराने जल स्रोत (तालाब, चैकडैम, बंधी) के पुर्ननिर्माण नये तालाब चैकडैम एवं बंधी निर्माण तथा उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों के निजी कृषि भूमि पर जल संचयन हेतु "खेत, तालाब" के निर्माण कार्य को प्रथम वरीयता दी जायेगी। इन्हीं कार्यस्थलों पर वृक्षारोपण एवं बागवानी का कार्य भी कराया जायेगा। उक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य मद में धनराशि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत इन जनपदों में अत्यन्त ही अपरिहार्य परिस्थितियों में व्यय की जायेगी।

भवदीय



(जे० एन० चैम्बर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1075 (1)/38-7-08 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, मत्स्य विभाग, उ०प्र० शासन।
6. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. मंडलायुक्त-झांसी, चित्रकूटधाम, विन्ध्याचल, इलाहाबाद, वाराणसी एवं कानपुर।
9. संयुक्त विकास आयुक्त-झांसी, चित्रकूटधाम, विन्ध्याचल, इलाहाबाद, वाराणसी एवं कानपुर।
10. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण-बोंदा, चित्रकूटधाम, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, जालौन, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद एवं औरैया।
11. जिला विकास अधिकारी-बोंदा, चित्रकूटधाम, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, जालौन, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद एवं औरैया।
12. ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से


(नरेन्द्र कुमार)
सचिव, ग्राम्य विकास।

खेत तालाब (फार्म पांड) निर्माण का प्राकलन

1-कार्य की मात्रा की गणना

खेत (फार्म) का मानक क्षेत्रफल, 1 एकड़ = 4000 वर्गमीटर

प्रस्तावित खेत तालाब (फार्म पांड) का क्षेत्रफल (10 प्रतिशत), 20मी0×20मी0

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	संख्या	इकाई	लम्बाई (मी0)	चौड़ाई (मी0)	ऊँ0/ ग0(मी0)	मात्रा
1	सर्वे कार्य-उपयुक्त स्थल चयन हेतु (चैन/टेप सर्वे)	1	कार्य	--	--	--	1" कार्य
2	तालाब में मिट्टी खुदाई का कार्य						
2.1	1.5 मी0 गहराई/ऊँचाई तक तालाब की खुदाई एवं 30मी0 दूरी तक बंधों के निर्माण कार्य हेतु पहुंचाने तक प्रथम स्टेप 0 से -0.3 मी0 तक।	1	घ0मी0	20.00	20.00	0.30	120.00
2.2	उपरोक्तानुसार, द्वितीय स्टेप -0.3 से -0.6 मी0 तक।	1	घ0मी0	19.10	19.10	0.30	109.44
2.3	उपरोक्तानुसार, तृतीय स्टेप -0.6 से -0.9 मी0 तक।	1	घ0मी0	18.20	18.20	0.30	99.37
2.4	उपरोक्तानुसार, चतुर्थ स्टेप -0.9 से -1.20 मी0 तक।	1	घ0मी0	17.30	17.30	0.30	89.79
2.5	उपरोक्तानुसार, पांचवा स्टेप -1.20 से -1.50 मी0 तक।	1	घ0मी0	16.40	16.40	0.30	80.69
	1.5 मी0 गहराई तक का योग		घ0मी0				499.29
2.6	1.5 मी0 से 2.0 मी0 तक उपरोक्तानुसार, छठवां स्टेप -1.50 से -1.80 मी0 तक।	1	घ0मी0	15.50	15.50	0.30	72.08
2.7	उपरोक्तानुसार, सातवां स्टेप -1.80 से -2.00 मी0 तक।	1	घ0मी0	14.60	14.60	0.20	42.63
	1.5 मी0 से 2.0 मी0 गहराई तक का योग		घ0मी0				114.71
2.8	2.0 मी0 से 2.5 मी0 तक उपरोक्तानुसार, सातवां स्टेप -2.00 से -2.10 मी0 तक।	1	घ0मी0	14.60	14.60	0.10	21.32
2.9	उपरोक्तानुसार, आठवां स्टेप -2.10 से -2.40 मी0 तक।	1	घ0मी0	13.70	13.70	0.30	56.30
2.10	उपरोक्तानुसार, नौवां स्टेप -2.40 से -2.50 मी0 तक।	1	घ0मी0	12.80	12.80	0.10	16.38
	2.0 मी0 से 2.50 मी0 गहराई तक का योग		घ0मी0				94.00
2.11	2.5 मी0 से 3.0 मी0 तक उपरोक्तानुसार, दसवां स्टेप -2.50 से -2.70 मी0 तक।	1	घ0मी0	12.80	12.80	0.20	32.76
2.12	उपरोक्तानुसार, दसवां स्टेप -2.70 से -3.00 मी0 तक।	1	घ0मी0	11.90	11.90	0.30	42.48
	2.5 मी0 से 3.0 मी0 तक गहराई तक का योग		घ0मी0				75.24
	खुदाई कार्य का कुल योग						783.24

खेत तालाब (फार्म पांड) निर्माण की लागत का आगणन

2.1-साधारण भूमि में निर्माण कार्य की लागत की गणना
 खेत तालाब (फार्म पांड) का अनुमानित आकार, 1 एकड़
 प्रस्तावित खेत तालाब (फार्म पांड) का क्षेत्रफल (10 प्रतिशत), 20मी0×20मी0
 तालाब निर्माण का प्रस्तावित स्थल- डालू खेत के निचले किनारे पर

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	लागत (रु० में)
1	सर्वे कार्य-उपयुक्त स्थल चयन हेतु (चैन/टेप सर्वे)	कार्य	1 कार्य	500.00	500.00
2	तालाब में मिट्टी खुदाई का कार्य				
2.1	साधारण भूमि में 1.5 मी० गइराई/ ऊंचाई तक तालाब की खुदाई एवं 30मी० दूरी तक बंधों के निर्माण कार्य हेतु	घ०मी०	499.29	44.00	21968.76
2.2	साधारण भूमि में 1.5 मी० से 3.0 मी० गइराई/ ऊंचाई तक तालाब की खुदाई एवं 30मी० दूरी तक बंधों के निर्माण कार्य हेतु	घ०मी०	283.95	49.00	13913.55
	योग				35882.31
3	रिसाव अवरोधी कार्य				
3.1	एच०डी०पी०ई०फिल्म की लागत	वर्गमी०	714.00	10.00	7140.00
3.2	एच०डी०पी०ई०फिल्म ज्वाइन्ट सीलिंग कार्य की लागत	वर्गमी०	714.00	2.25	1606.50
3.3	जल अवरोधी फिल्म की सुरक्षा -जल अवरोधी फिल्म की सुरक्षा हेतु 15 सेमी० मोटी कंकड़ बिहीन मिट्टी की तह डालना एवं पानी डालकर कूटाई करना	घनमी०	115.90	64.80	7510.32
	योग				16256.82
4	अतिरिक्त जल निकासी का निर्माण-सैन्चरश स्पेशीज तथा खश एवं स्थानीय घास तथा प्रक्षेत्र में उपलब्ध लोकल सामग्री से 5 मी० लम्बा वेजिटेटिव जल निकासी संरचना का निर्माण।	संख्या	5 मानव दिवस	100.00	500.00
5	विविध व्यय			500.00	500.00
	महायोग				53639.13

(रु० तिरपन हजार छः सौ चालीस मात्र)

खेत तालाब (फार्म पांड) निर्माण की लागत का आगणन

2.2-सख्त भूमि में निर्माण कार्य की लागत की गणना

खेत तालाब (फार्म पांड) का अनुमानित आकार, 1 एकड़

प्रस्तावित खेत तालाब (फार्म पांड) का क्षेत्रफल (10 प्रतिशत), 20मी0×20मी0

तालाब निर्माण का प्रस्तावित स्थल- ढालू खेत के निचले किनारे पर

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	लागत (रु० में)
1	सर्वे कार्य-उपयुक्त स्थल चयन हेतु (चैन / टेप सर्वे)	कार्य	1 कार्य	500.00	500.00
2	तालाब में मिट्टी खुदाई का कार्य				
2.1	सख्त भूमि में 1.5 मी० गइराई/ ऊंचाई तक तालाब की खुदाई एवं 30मी० दूरी तक बंधों के निर्माण कार्य हेतु	घ०मी०	499.29	58.80	29358.25
2.2	सख्त भूमि में 1.5 मी० से 3.0 मी० गइराई/ ऊंचाई तक तालाब की खुदाई एवं 30मी० दूरी तक बंधों के निर्माण कार्य हेतु	घ०मी०	283.95	63.80	18116.00
	योग				47474.25
3	रिसाव अवरोधी कार्य				
3.1	एच०डी०पी०ई०फिल्म की लागत	वर्गमी०	714.00	10.00	7140.00
3.2	एच०डी०पी०ई०फिल्म ज्वाइन्ट सीलिंग कार्य की लागत	वर्गमी०	714.00	2.25	1606.50
3.3	जल अवरोधी फिल्म की सुरक्षा -जल अवरोधी फिल्म की सुरक्षा हेतु 15 सेमी० मोटी कंकड़ विहीन मिट्टी की तह डालना एवं पानी डालकर कूटाई करना	घनमी०	115.90	68.80	7973.92
	योग				16720.42
4	अतिरिक्त जल निकासी का निर्माण-सैन्चरश स्पेशीज तथा खश एवं स्थानीय घास तथा प्रक्षेत्र में उपलब्ध लोकल सामग्री से 5 मी० लम्बा वेजिटेटिव जल निकासी संरचना का निर्माण।	संख्या	5 मानव दिवस	100.00	500.00
5	विविध व्यय			500.00	500.00
	महायोग				65694.67

(रु० पैसठ हजार छः सौ पंचानवे मात्र)

3	रिसाव अवरोधी कार्य (एच0डी0पी0ई0फिल्म लाईनिंग का कार्य)						
3.1	तालाब की तली पर	1	वर्गमी0	11.90	11.90		141.50
3.2	तालाब की पार्श्व भित्तों पर	4	वर्गमी0	0.5(11.90 +20.00)	7.50		478.50
3.3	तालाब की भूसतह में प्रोटेक्शन ट्रेन्च पर	4	वर्गमी0	20.00	1.00		80.00
							700.00
3.4	फिल्म जोड़ने हेतु अतिरिक्त आवश्यक रिसाव अवरोधी फिल्म की मात्रा	2%	वर्गमी0				14.00
3(a)	रिसाव अवरोधी फिल्म का कुल योग		वर्गमी0				714.00
3(b)	जल अवरोधी फिल्म की सुरक्षा हेतु 15 सेमी0 मोटी कंकड़ विहीन मिट्टी की तह डालना एवं पानी डालकर कुटाई करना	1	वर्गमी0	$(0.675)*0.5(20+11.9)*4$ $+(11.9*11.9*0.15)+0.5(11.9$ $+20)*5.40*4*0.15$			115.90
4.	अतिरिक्त जल निकासी का निर्माण – सैन्चरश स्पेशीज तथा खश एवं स्थानीय घास तथा प्रक्षेत्र में उपलब्ध लोकल सामग्री से वेजिटेटिव जल निकासी संरचना का निर्माण।	1	संख्या				1

निर्माण कार्य की दरों का विश्लेषण-

- 1 बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जनपदों एवं विध्यावल मण्डल के जनपद सोनभद्र एवं मिर्जापुर जनपदों में साधारण भूमि में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत तालाब एवं बंधी निर्माण के लिए (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2.27 घनमी० कार्य दर के आधार पर) प्रति घनमी० दर रु० 44.00 प्रति घनमी०

- 2 बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जनपदों एवं विध्यावल मण्डल के जनपद सोनभद्र एवं मिर्जापुर जनपदों में सख्त भूमि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत तालाब एवं बंधी निर्माण के लिए (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1.70 घनमी० के आधार पर) प्रति घनमी० दर रु० 58.80 प्रति घनमी०

- 3 1.5 मी० के अतिरिक्त प्रत्येक 1.5 मी० अधिक ऊँचाई/गहराई हेतु खुदाई की अतिरिक्त लागत (प्रति घनमी०) रु० 5.00 प्रति घनमी०

- 4 जल अवरोधी फिल्म की सुरक्षा हेतु 15 सेमी० मोटी कंकड़ विहीन मिट्टी की तह डालना एवं पानी डालकर कुटाई करना (प्रति घनमी०)


(1)	मिट्टी कार्य	1.00	@54.00	54.0
(2)	लेबलिंग/डेसिंग	10%	@5.40	5.40
(3)	पानी छिड़काव	10%	@5.10	5.40
			रु० प्रति घनमी०	64.80

- 5 जल अवरोधी एच०डी०पी०ई० (250 माईक्रोमिलीमी० मोटी) फिल्म की लागत (प्रति वर्गमी०) रु० 10.00 प्रति वर्गमी०

- 6 जल अवरोधी एच०डी०पी०ई० फिल्म की तीन लाइन के इलेक्ट्रिक हीटर से 10सेमी० ओवरलैप के साथ,प्रति वर्गमी० दर


	इलेक्ट्रिशियन, 1 न० @ 150.00=रु० 150.00
	-हैल्पर, 1 न० @ 100.00=रु० 100.00
	-जनरेटर (पी०ओ०एल० सहित),1 न० @ 200.00=रु० 200.00
	योग रु० 450.00
	(दर प्रति वर्गमी०)-रु. 2.25

फार्म पांड की ड्राइंग




Plan

एक एकड़ के मानक क्षेत्रफल के लिए



Elevation (Sectional)



Typical farm pond lined with HMHDPE film